



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश जाटव पुत्र श्री हेमराज जाटव, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये, उ0प्र0 के पत्र संख्या-10576/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.03.2026), दिनांक 23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश जाटव पुत्र श्री हेमराज जाटव, जो जगननाथपुर, थाना-कटरा, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। दिनांक 05.12.2010 को बन्दी ने अपनी सगी बहन पीड़िता के साथ बुरा काम करने का अपराध कारित किया। बन्दी को एसटी0- 185/2011, भा0द0वि0 की धारा-376 में मा० न्यायालय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 31.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक- 15.12.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 18 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, जेल से रिहा होने के उपरान्त पुनः अपराध कारित कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 05.12.2010 को बन्दी ने अपनी सगी बहन पीड़िता के साथ बुरा काम करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश जाटव पुत्र हेमराज जाटव को फार्म-ए/ लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश जाटव (बन्दी संख्या-38/2014) पुत्र श्री हेमराज जाटव, निवासी जनपद- शाहजहांपुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1095/2026/597(1)/22-2-2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
- 2- पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।
- 3- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक: 20 अगस्त, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश जाटव पुत्र श्री हेमराज जाटव, जो जगननाथपुर, थाना-कटरा, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। दिनांक 05.12.2010 को बन्दी ने अपनी सगी बहन पीड़िता के साथ बुरा काम करने का अपराध कारित किया। बन्दी को एसटी0- 185/2011, भा0द0वि0 की धारा-376 में मा० न्यायालय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 31.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक- 15.12.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 18 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, जेल से रिहा होने के उपरान्त पुनः अपराध कारित कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 05.12.2010 को बन्दी ने अपनी सगी बहन पीड़िता के साथ बुरा काम करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश जाटव पुत्र हेमराज जाटव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।